

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना

आर ए एस

तारीख निर्णय

24 07 2023

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

22.11.2022

96 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1-श्री तेजमल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स टी.के. एन्टरप्राइजेज चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं.5 चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज.
- 2-श्री धर्मन्द्र कुमार गर्ग प्रोपरायटर मैसर्स हनी कॉरपोरेशन 18 जवाहर नगर खण्डारी आगरा निवासी गली खन्दारी आगरा, बिल्डिंग नं. 18, जिला आगरा उत्तरप्रदेश

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(iv) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 24.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2022 को समय 12:09 पी.एम पर मैसर्स श्री टी.के. एन्टरप्राइजेज चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री तेजमल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री तेजमल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Gwala Brand) प्लास्टिक डिब्बों में 40-40 ग्राम के 20 पाउच रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री तेजमल जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Gwala Brand) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 40-40 ग्राम के 16 पाउच कुल मात्रा 640 ग्राम खरीदी, जिसकी बिक्री विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1674

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड मात्रा 160 ग्राम को चार साफ व सूखे डिब्बों में बराबर-बराबर 160-160 ग्राम भरकर डिब्बे के टॉकन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3049 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिप्ले नं. आई-3049 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिप्ले व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना कय करते समय विक्रेता श्री तेजमल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स हनी कॉरपोरेशन 18 जवाहर नगर खण्डारी आगरा का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/706 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./570/एक्ट/2022/608 दिनांक 28.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Gwala Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)zx व 3(1)(zf)(c)(i) के उल्लंघन के कारण अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Gwala Brand) का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी नुकसान जर्माने से दण्डित किया जावे।



अवलोकन हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया संयुक्त बांधानी हींग ग्वाला ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Gwala Brand) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0